रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 282] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 1976/भाद्र 3, 1898

No. 282] NEW DELHI WEDNESDAY, AUGUST 25, 1976/BHADRA 3, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 25th August 1976

G.S.R. 765(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (2) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Bihar hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) XII Amendment Regulations, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955 for the heading "Bihar" and the entries occurring thereunder the following shall be substituted, namely :—

BIHAR

1.	Senior posts under the State Government	88
	Inspector General of Police	1
	Director (Vigilance)	1

Commandant General, Home Guards	1
Additional Inspector General of Police, Armed Forces	1
Deputy Inspectors General of Police	11
Deputy Inspector General-*cum*-Additional Commandant General, Home Guards	1
Deputy Inspector General of Police (Administration)	1
Deputy Inspector General of Police (Rlys.)	1
Deputy Inspector General of Police-*cum*-Principal, Police Training College	1
Assistants to the Inspector General of Police	3
Superintendent of Police 'A.' Intelligence Branch	1
Superintendent of Police 'B', Intelligence Branch	.
Superintendent of Police 'S'; Intelligence Branch	1
Superintendent of Police 'G', Intelligence Branch	1
Superintendent of Police 'C' CID Branch	1
Superintendent of Police 'D' CID Branch	1
Superintendents of Police	36
Superintendents of Police Railways	4
Superintendent of Police (Vigilance)	1
Commandants, Military Police	15
Commandants, Home Guards	2
Additional Superintendents of Police, (Patna, Ranchi)	2
	88
2. Central Deputation Reserve at 40% of 1 above	35
	123
3. Posts to be filled by promotion under rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 at 25% of 1 and 2 above	30
4. Posts to be filled by direct recruitment (1 and 2 minus 3 above)	93
5. Deputation Reserve at 20% of 4 above	19
6. Leave reserve at 5 % of 4 above	5
7. Junior posts at 20·60% of 4 above	19
8. Training reserve at 10·59% of 4 above	10
Direct recruitment posts	146
Promotion Posts	30
Total authorised strength	176

N.B.— The total authorised Cadre strength of Bihar prior to the revised composition and strength as given in the above notification was 150.

[No. F 11052/14/76-AIS(II) A]

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1976

सा० का० नि० 765(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार,

एतद्द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) बारहवां संशोधन विनियम, 1976 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में "बिहार" शीर्षक के अन्तर्गत दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

"बिहार"

1.	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद . . .	88
	पुलिस महानिरीक्षक	1
	निदेशक (सतर्कता)	1
	कमान्डेंट जनरल, होम गार्ड्स	1
	सशस्त्र पुलिस बलों के अपर पुलिस महानिरीक्षक .	1
	पुलिस उप महानिरीक्षक	11
	उप महानिरीक्षक एवं अपर कमांडेंट जनरल, होमगार्ड्स .	1
	पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) . . .	1
	पुलिस उप महानिरीक्षक, रेल	1
	पुलिस उप महानिरीक्षक एवं प्रिंसिपल, पुलिस प्रशिक्षण कालिज .	1
	पुलिस महानिरीक्षक के सहायक	3
	पुलिस अधीक्षक 'ए', आसूचना शाखा . . .	1
	पुलिस अधीक्षक 'बी', आसूचना शाखा . . .	1
	पुलिस अधीक्षक 'एस', आसूचना शाखा . . .	1
	पुलिस अधीक्षक, 'जी', आसूचना शाखा . . .	1
	पुलिस अधीक्षक 'सी', सी०आई०डी० शाखा . . .	1
	पुलिस अधीक्षक 'डी', सी०आई०डी० शाखा . . .	1
	पुलिस अधीक्षक	36
	पुलिस अधीक्षक, रेल	4

पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)	1
कमांडेंट, मिलिटरी पुलिस	15
कमांडेंट, होम गार्डस	2
पुलिस अपर अधीक्षक (पटना, रांची) . . .	2
	88
2. उपर्युक्त 1 के 40 प्रतिशत के हिसाब से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	35
	123
3. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 9 (1) के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 के 25 प्रतिशत के हिसाब से . . .	30
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद 1 और 2 में से तीन घटा कर	93
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 4 के 20 प्रतिशत के हिसाब से	19
6. छुट्टी के रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से	5
7. कनिष्ठ पद उपर्युक्त 4 के 20.60 प्रतिशत के हिसाब से	19
8. प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त 4 के 10.59 प्रतिशत के हिसाब से	10
सीधी भर्ती वाले पद	146
पदोन्नति वाले पद	30
कुल प्राधिकृत पद संख्या	176

विशेष ध्यान दीजिए :—

बिहार संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या, जैसे कि वह उपर्युक्त अधिसूचना में दी गई, उसके गठन और उसकी पद संख्या के संशोधित किये जाने से पूर्व 150 थी ।

[सं० 11052/14/76-ए० आई० एस० (II) क]

G.S.R. 766(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services, Act, 1951 (61 of 1951), read with Rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Bihar, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) XIII Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954.

(a) In "Schedule III-A Posts carrying pay above the time scale pay of the Indian Police Service under the State Governments" for the entry "Bihar" occurring in the first

column, and the corresponding entries in the second and the third columns, the following shall respectively be substituted, namely :—

State	Particulars of Posts	Pay/Scale of Pay
Bihar	Inspector General of Police	2500—125/2—2750
	Director (Vigilance)	2500—125/2—2750
	Commandant General, Home Guards	2500—125/2—2750
	Additional Inspector General of Police, Armed Forces	2250—125/2—2500
	Deputy Inspectors General of Police	2000—125/2—2250
	Deputy Inspector General-cum-Additional Commandant General, Home Guards	2000—125/2—2250
	Deputy Inspector General of Police (Administration)	2000—125/2—2250
	Deputy Inspector General of Police, Railways	2000—125/2—2250
	Deputy Inspector General of Police-cum-Principal, Police Training College	2000—125/2—2250

(b) In "Schedule III-B post carrying pay in the senior time-scale of the Indian Police Service under the State Governments (including posts carrying special pays in addition to pay in the time-scale)", for the entry "Bihar" in the first column, and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely :—

State	Particulars of Posts
Bihar	Assistants to the Inspector General of Police
	Superintendent of Police 'A', Intelligence Branch
	Superintendent of Police 'B', Intelligence Branch
	Superintendent of Police 'S' Intelligence Branch
	Superintendent of Police 'G', Intelligence Branch
	Superintendent of Police, 'C' C.I.D. Branch
	Superintendent of Police, 'D' C.I.D. Branch
	Superintendents of Police
	Superintendents of Police, Railways
	Superintendent of Police, (Vigilance)
	Commandants, Military Police
	Commandants, Home Guards
	Additional Superintendents of Police, (Patna, Ranchi).

[No. 11052/14/76-AIS(II)-B]

K. K. JASWAL, Under Secy.

सा० का० नि० 766 (अ).—भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तेरहवां संशोधन नियम, 1976 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की संलग्न अनुसूची 111-क में—

(क) 'राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा में वेतन के समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद' शीर्ष के अधीन पहले कालम में 'बिहार' प्रविष्टि और दूसरे तथा तीसरे कालम में दी गई तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

राज्य	पदों का विवरण	वेतन/वेतनमान
बिहार	पुलिस महानिरीक्षक	2500—125/2—2750 रु०
	निदेशक (सतर्कता)	2500—125/2—2750 रु०
	कमान्डेंट जनरल, होम गार्डस	2500—125/2—2500 रु०
	अपर पुलिस महानिरीक्षक, सशस्त्र बल	2250—125/2—2500 रु०
	पुलिस उप महानिरीक्षक	2000—125/2—2250 रु०
	पुलिस उप महानिरीक्षक तथा अपर महा समादेष्टा, होम गार्डस	2000—125/2—2250 रु०
	पुलिस उप महानिरीक्षक, रेल	2000—125/2—2250 रु०
	पुलिस उप महानिरीक्षक तथा प्रिंसिपल, पुलिस प्रशिक्षण कालिज	2000—125/2—2250 रु०
	पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन)	2000—125/2—2250 रु०

(ख) 'अनुसूची 3 ख में—राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतन मान वाले पद जिनमें समय वेतनमान वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी शामिल हैं', शीर्षक के अधीन पहले कालम "बिहार" प्रविष्टि और

कालम 2 में दी गई तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

राज्य	पदों का विवरण
बिहार	पुलिस महानिरीक्षक के सहायक
	पुलिस अधीक्षक 'ए०', आसूचना शाखा
	पुलिस अधीक्षक 'बी०', आसूचना शाखा
	पुलिस अधीक्षक, 'एस', आसूचना शाखा
	पुलिस अधीक्षक 'जी', आसूचना शाखा
	पुलिस अधीक्षक 'सी', सी० आई० डी० शाखा
	पुलिस अधीक्षक 'डी', सी० आई० डी० शाखा
	पुलिस अधीक्षक
	पुलिस अधीक्षक, रेल
	पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)
	कमान्डेन्ट, मिलिटरी पुलिस
	कमान्डेन्ट, होम गार्डस
	अपर पुलिस अधीक्षक (पटना, रांची) ।

[सं० 11052]14/76 अ० भ० से (II)-ख]

कमल कान्त जैसवाल, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976